

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)/(आर-2989/2013)/अलेसे-III/1295

दिनांक:- 1-11-2022

कार्यालय आदेश

श्री रामप्रकाश चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के पत्र क्रमांक 13869 दिनांक 17.10.2022 द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार माह नवम्बर 2022 में दिनांक 01.11.2022 से 06.11.2022 तक भ्रमण हेतु संयुक्त राज्य अमीरात (दुबई एवं अबुधाबी) जाने की अनुमति राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 वह नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगा।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगा।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगा।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगा।
- 7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगा।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगा।
- 11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगा।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)/(आर-2989/2013)/अलेसे-III/1295

दिनांक:- 1-11-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
- 2 श्री रामप्रकाश चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II/III)